

2025/483

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगांधोपुर (सीकर)

क्रमांक/रीडर/2025/3651

दिनांक 06/10/2025

उपरोक्त प्रकरण- पुत्रदयाल कनाम भूमिधारी तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956

मुकदमा संख्या- 171 /2025

—: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि तहसीलदार श्रीगांधोपुर ने जरिये पत्रांक 02 /भूअ/2025 दिनांक 19/09 /2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम गानीपुरा पटवारी हल्का रायपुरजागीर तहसील श्रीगांधोपुर जिला सीकर के भूमि खाता संख्या 98,99 में खातेदार दयाल पुत्र परता जति अहीर के स्थान पर पुत्रदयाल पुत्र परता जति अहीर का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का रायपुरजागीर उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगांधोपुर (सीकर)
श्रीगांधोपुर (सीकर)

दिनांक 06/10/2025

क्रमांक/रीडर/2025/3652-53

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. तहसीलदार श्रीगांधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का रायपुरजागीर तहसील श्रीगांधोपुर को पालनार्थ।

सुनील कुमार
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगांधोपुर (सीकर)

